उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-05/2026/भा0स0-04/एक-1-2026-1-1099/263/2021

लखनऊ: दिनॉक: 10 अप्रैल, 2026

अधिसूचना

चूंकि ग्राम नगला बहरावती का नाम परिवर्तित करके पृथ्वीपुरा किए जाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, आगरा के पत्र संख्या-710/राजस्व सहायक, दिनांक 03.11.2023, द्वारा प्रस्तावित किया गया है और आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा के पत्र संख्या-871/नौ-6/2022-23, दिनांक 09.01.2024 तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद के पत्र संख्या-102/9-24/2023, दिनांक 01.02.2024 द्वारा संस्तुत किया गया है और भूमि प्रबंध समिति ने भी उक्त ग्राम का पुनर्नामकरण किये जाने का प्रस्ताव पारित किया है।

और चूंकि भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या-11/25/2024-एम एण्ड जी, दिनांक 22.01.2026 द्वारा जिला आगरा की तहसील किरावली में स्थित ग्राम 'नगला बहरावती' का नाम परिवर्तित कर 'पृथ्वीपुरा' किये जाने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-130/53-पब्लिक दिनांक-11-09-1953 एवं पत्र संख्या-11/25/2024-एम एण्ड जी, दिनांक 22.01.2026 में विनिर्दिष्ट निदेशों के अनुसरण में, राज्यपाल इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नीचे अनुसूची में यथा उल्लिखित उक्त ग्राम ''नगला बहरावती'' का नाम परिवर्तित कर ''पृथ्वीपुरा'' करते हैं।

2. राज्यपाल अग्रतर यह निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव, किसी न्यायालय, जो राजस्व ग्राम के संबंध में अब तक अधिकारिता का प्रयोग करता रहा हो, में पहले ही प्रारम्भ की गयी या लंबित किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

राजस्व ग्राम का वर्तमान नाम	राजस्व ग्राम का परिवर्तित नाम
नगला बहरावती	पृथ्वीपुरा

आज्ञा से,

अपर्णा यू0

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Uttar Pradesh Shasan
Rajaswa Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 05 /2026/Bha0Sa0-04/I-1-2026-1-1099/263/2021 dated: 10 April , 2026 for general information.

Notification

No. 05/2026/Bha0Sa0-04 /I-1-2026-1-1099/263/2021

Lucknow: Dated: 10 April, 2026

WHEREAS it has been proposed by District Magistrate, Agra vide letter no. 710/Ra0saha0 dated 03-11-2023 and recommended by Commissioner Agra Mandal, Agra vide letter no. 871/Nau-6/2022-23 dated 09-01-2024 and Commissioner and Secretary of Board of Revenue vide letter no. 102/9-24/2023 dated 01-02-2024 to change the name of village Nagla Bahravati to Prithvipura; and the Land Management Committee has also passed the proposal to rename the said village ;

AND WHEREAS the Government of India has given No Objection Certificate in respect of changing the name of village Nagla Bahravati to Prithvipura which is situated in Tehsil Kiravli of District Agra vide their letter no. 11/25/2024-M&G dated 22-01-2026 ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (2) of section 6 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act No. 8 of 2012) and in pursuance of the directions of Ministry of Home Affairs, Government of India specified in letter no. 130/53-public dated 11-09-1953 and letter no. 11/25/2024-M&G dated 22-01-2026, the Governor is pleased to alter the name of the said village "Nagla Bahravati" to "Prithvipura" with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette as mentioned in the Schedule below.

2. The Governor is further pleased to direct that nothing in this notification shall affect any legal proceeding already commenced or pending in any Court of law which has hitherto exercised jurisdiction in respect of the revenue village.

SCHEDULE

Present name of the revenue village	Changed name of the revenue village
Nagla Bahravati	Prithvipura

By order,
Aparna U.
Pramukh Sachiv.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।